



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS

No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385

फैक्स/FAX:040-27817275

i)cda-secd@nic.in

ii) secd-acsn-cda@nic.in

सं./No. A/II/13039/Vol II

दिनांक: .08.2015.

सेवा में

प्रभारी व.ले.अ., भंडार अनुभाग (स्थानीय)
प्रभारी व.ले.अ., विविध अनुभाग (स्थानीय)
प्रभारी व.ले.अ., परिवहन अनुभाग (स्थानीय)
प्रभारी अधिकारी, वे.ले.का. (अ.श्रे)ईएमई, सिकंदराबाद ।
प्रभारी अधिकारी, वे.ले.का. (अ.श्रे) सेना आयुध कोर, सिकंदराबाद ।

विषय : वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा की भारतीय रुपये में परिवर्तन और इसके ठीक उल्टा की विनिमय दरें ।

प्रभावी तारीख 03.07.2015 से विदेशी मुद्रा की भारतीय रुपये में परिवर्तन और इसके ठीक उल्टा की विनिमय दरों के संबंध में रक्षा लेखा महानियंत्रक, दिल्ली छावनी से प्राप्त निम्नांकित पत्र की प्रति सभी संबंधित पक्षों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाती है ।

भारत सरकार, रक्षा
मंत्रालय, (वित्त) बजट-II

रक्षा मंत्रालय (वित्त) अईडी. सं. 230 (1)/2009/B-II
दिनांक 13.07.2015.

संलग्न: उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

प्रतिलिपि:
इंजी.पी. अनुभाग

र.ले.नि., सिकंदराबाद की वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ उपरोक्त पत्र की प्रति आपको भेजी जाती है ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

A/II/13039/Vol II

Dt: .08.2015.

To
The SAO stores Sn. (Local),
The SAO "M" Sn. (Local),
The SAO "T" Sn. (Local),
The Officer I/C,
PAO(ORs)EME,

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 03-07-2015 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 08-06-2015 की अ0वि0 संख्या 230(1)/2009/ब0-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक 02-07-2015 की अधिसूचना संख्या /2011-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती है।

31601
सहायक वित्तीय संलाहकार (बजट-11)

संलग्न. उपर्युक्त।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि0यो-3)- दो प्रतियां।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम)।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली।
6. स0वि0स0 (एटीवीपी) 7. स0वि0स0 (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय)।
9. र0मं0 (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां।

र0मं0(वि0प्र0) अ0वि0 सं0 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 13.07.2015

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा0से0/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु0 एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीक्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ2पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी) 27. डी.डी. (जी.डी.डी.)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र0ले0म0नि0 नई दिल्ली, 2. र0ले0नि0 मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र0ले0नि0(अनु0 एवं विकास) र0ले0नि0 (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु0 एवं विकास) बेंगलुरु, 9. सीसी और एफवाईएस कोलकाता, 10. र0ले0नि0 (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एम) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र0ले0नि0 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बेंगलुरु।

A-111

Ministry of Defence (Fin)
(Budget -II)

Subject: Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice - versa effective from 03.07.2015 notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

In continuation of Ministry of Defence (Finance)'s ID No. 230(1)/2009/B-II dated 08.06.2015, a copy of Department of Revenue Notification No. 66/2015-Customs (N.T) dated 09.07.2015 on the above subject is forwarded herewith for necessary compliance.


(Arun Kansal)

A.F.A (Budget-II)

Encl. As above.

1. Dte. of Financial Planning (FP-3), AHQ
2. Air HQrs. (Dte. of Financial Planning)
3. DNP, Naval HQrs
4. R&D Organization (DMM)
5. DGOF, New Delhi
6. Planning Officer (Def),(Dte. of Planning and Coordination), DDP.
7. Cash Section MoD(Fin).

MoD (Fin) I. D. No. 230(1)/2009/B-II Dated 13.07.2015.

Copy to : 1. D(N-I), 2. D(N-II), 3. D(Air-I), 4. D(Air-IV), 5. DDMC-I Room No. 3-A, 6. D(Prod), 7. D(O-I), 8. D(GS-IV), 9. MGO(PPO-4), 10. MGO(PPO-5), 11. MGO(PPO-3), 12. IFA(Army), 13. IFA(Navy), 14. IFA(Air Force), 15. Dir(P&C), 16. Dir(Fin/O), 17. Dir(AF/EQPT), 18. Dir(Fin/R&D), 19. Dir(DP), 20. Dir(AF/Org), 21. Dir(Fin/PSU), 22. MOD(Cash Section)- 2 copies, 23. DGQA, 24. APMO (Budget), 25. Fin/O2P, 26. MGO/EM(GS&C) 27. DFA (GS) 28. AFA (ATVP) 29. AFA (BRDB)

Copy also to: 1. CGDA New Delhi, 2. PCDA Hqrs, New Delhi, 3. CDA(R&D) New Delhi, 4. CDA (N)Bombay, 5. Project Manager APMO Air Hqrs, 6. Controller of Finance OFB Kolkatta, 7. Asstt. Dir(Budget)Coast Guard Hqrs National Stadium New Delhi, 8. CDA(R&D) Bangalore, 9. CC of AFYS Kolkatta, 10. CDA(BR) Seema Sadak Bhawan Ring Road Naraina, Delhi Cantt, 11. IF Army/M) Kashmir House New Delhi, 12. CDA, 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bangalore

Exchange rates Circular



- 125

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 03-07-2015 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 08-06-2015 की अ०वि० संख्या 230(1)/2009/ब०-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक 02-07-2015 की अधिसूचना संख्या /2011-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती है ।

21601
सहायक वित्तीय संलाहकार (बजट-11)

संलग्न. उपर्युक्त ।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि०यो-3)- दो प्रतियां ।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां ।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां ।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम) ।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली ।
6. स०वि०स० (एटीवीपी) 7. स०वि०स० (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय) ।
9. र०मं० (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां ।

र०मं०(वि०प्र०) अ०वि० सं० 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 13.07.2015

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा०से०/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु० एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीक्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ२पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी) 27. डी०२३६०२३ (जी०२३१)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र०ले०म०नि० नई दिल्ली, 2. र०ले०नि० मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र०ले०नि०(अनु० एवं विकास) र०ले०नि० (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु० एवं विकास) बेंगलुरु, 9. सीसी और एफवाईएस कोलकाता, 10. र०ले०नि० (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एम) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र०ले०नि० 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बेंगलुरु ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

Notification No.66/2015 - Customs (N.T.)

Dated the 2nd July, 2015

In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Central Board of Excise & Customs No.63/2015-CUSTOMS (N.T.), dated 18th June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise & Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currencies specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto, into Indian currency or *vice versa*, shall, with effect from 3rd July, 2015, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

Sl.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	49.45	48.05
2.	Bahrain Dinar	173.85	164.35
3.	Canadian Dollar	51.20	50.05
4.	Danish Kroner	9.60	9.30
5.	EURO	71.45	69.70
6.	Hong Kong Dollar	8.30	8.15
7.	Kuwait Dinar	216.80	204.55
8.	New Zealand Dollar	43.35	42.20

9.	Norwegian Kroner	8.15	7.95
10.	Pound Sterling	100.70	98.45
11.	Singapore Dollar	47.65	46.65
12.	South African Rand	5.35	5.05
13.	Saudi Arabian Riyal	17.50	16.50
14.	Swedish Kroner	7.70	7.50
15.	Swiss Franc	68.15	66.55
16.	UAE Dirham	17.85	16.85
17.	US Dollar	64.25	63.20

SCHEDULE-II

(1)	Foreign Currency (2)	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees (3)	
		(a) (For Imported Goods)	(b) (For Export Goods)
1.	Japanese Yen	52.25	51.05
2.	Kenya Shilling	66.00	62.35

[F.No468/01/2015-Cus.V]

(Akshay Joshi)
Under Secretary to the Govt. of India